

पत्रांक-श्रम क० स०-23/2019-458

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में 01 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 130000/- (एक लाख तीस हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध	जिलाधिकारी/श्रम अयोग्यक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. एस. सी.	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का प्रमाण, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० दिनेश रविदास, 41, अनु० जाति	श्रीमती पिकी देवी (पत्नी)	788/31.10.19	ग्रा०-जोरारपुर, पो०-पचौड़ी, था०-दीपनगर, नालंदा	715201001 40216	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, दीपनगर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० छोटे लाल चौधरी, 57, अनु० जाति	श्रीमती लक्ष्मी देवी (पत्नी)	795/07.11.19	ग्रा०-जोरारपुर, पो०-पचौड़ी, था०-दीपनगर, नालंदा	715201000 79851	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, दीपनगर, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- ₹ 130000/-

(एक लाख तीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-23/2019 के पृष्ठ-11/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-23/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-23/2019-458

पटना, दिनांक :- 24-12-19

प्रतिलिपि :- सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 130000/- (एक लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा

संभारण करना सुनिश्चित करेंगे/अम अधीक्षक, नालंदा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्यक्ष प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनाएं प्रेषित/ आईटीओ मैनेजर, अम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्यक्ष प्रेषित/अमर मुख्य सचिव के आरा सचिव, अम संसाधन विभाग को सूचनाएं प्रेषित/माननीय मंत्री के आरा सचिव, अम संसाधन विभाग को सूचनाएं प्रेषित।

मुख्य वित्त पदाधिकारी
(डा० गणेश कुमार झा)
13/12/19

कार्यकारी निदेशक।
(राम रूप प्रसाद)
13/12/19